न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 177/2021 **दायर दिनांकः 12/10/2021**

उनवान

1. प्रदीप कुमार नागर आयु 27 वर्ष पुत्र रमेशचन्द जाति धाकड़ निवासी खानपुरिया तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, आर.टी.एक्ट
व धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :–
वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

आदेश दिनाकः 07/04/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, आर.टी.एक्ट व धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल कटावर पटवार क्षेत्र कटावर तहसील अटरू की खाता संख्या 271 का ख0नं0 9 का रकबा 2.57 है0 किता 1 का रकबा 2.57 है0 आराजी वादी के शामलाती खाते है। नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का गलत नाम मनभंवर पुत्र रमेशचन्द्र जाति धाकड निवासी खानपुरिया दर्ज है। जिसमें वादी का नाम सही नहीं है। जबकि वादी का सही नाम प्रदीप कुमार नागर है। वादी के पिता द्वारा वादी के नाम आराजी क्रय करते समय बोलता नाम मनभंवर लिखवा दिया गया। जिसमें वादी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में मनभंवर दर्ज हो गया। विद्यालय रिकार्ड व आधार कार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में वादी का नाम प्रदीप कुमार नागर है। इसलिए वादी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में भिन्न है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में भिन्न भिन्न नाम होने से वादी को बैंक आदि से ऋण लेने कृषि विकास कार्य करवाने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना

पडता है। अस्तु वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम मनभंवर के स्थान पर प्रदीप कुमार नागर दर्ज करवाने का अधिकारी है। जिसे बिना न्यायालय की सहायता के नही करवाया जा सकता। अस्तु यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमि धारक होने एवं राजस्व रिकार्ड का संधारण करने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है उनके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। मामला मात्र नाम व रिकार्ड दुरूस्ती का है इसलिए उन्हे 80 सी0पी0सी0 को नोटिस नहीं दिया गया है। वाद कारण वादी द्वारा कई बार प्रतिवादी से नाम दुरूस्त करने का निवेदन के बावजूद भी नहीं करने पर व अन्तिम बार मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद की विषयवस्तु व पक्षकारान तहसील क्षैत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को खैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के अनुसार उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद पत्र की द्वितीय प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है। अतः वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री मय खर्चा वाद सादिर फरमाई जावे किः–

(अ) वादी का नाम वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम मनभंवर के स्थान पर प्रदीप कुमार नागर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावे।

(अ) अन्य सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश न करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत pw1 प्रदीप कुमार नागर पुत्र रमेशचन्द्र तथा pw2 राकेश पुत्र रमेशचन्द्र के शपथ पत्र पेश किये गये।

अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि वादी का नाम वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम मनभंवर के स्थान पर प्रदीप कुमार नागर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावे।

उपलब्ध रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। संवत 2074—77 की जमाबन्दी ग्राम कटावर के खाता संख्या 271 में वादी का नाम सहखातेदार के रूप में मनभंवर पुत्र रमेशचन्द्र दर्ज रिकार्ड है। अन्य दस्तावेज बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, मध्य भारत ग्वालियर की हाई स्कूल परीक्षा 2011 की अंकतालिका में वादी का नाम प्रदीप कुमार नागर पुत्र रमेशचन्द्र नागर अंकित है। आधार कार्ड एवं भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता पहचान पत्र में प्रदीप कुमार पुत्र रमेश चन्द दर्ज है। राशन कार्ड में वादी का नाम प्रदीप दर्ज है तथा भामाशाह कार्ड में प्रदीप कुमार दर्ज है।

रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, आर.टी.एक्ट व धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल कटावर तहसील अटरू की खाता संख्या 271 का ख0नं0 9 का रकबा 2.57 है0 में सहखातेदार मनभंवर पुत्र रमेशचन्द्र के स्थान पर प्रदीप कुमार नागर उर्फ मनभंवर पुत्र रमेशचन्द्र दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (**R.A.S.**) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 177/2021

उनवान

1. प्रदीप कुमार नागर आयु 27 वर्ष पुत्र रमेशचन्द जाति धाकड़ निवासी खानपुरिया तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, आर.टी.एक्ट
व धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....**X**................ रूबरू..............**X**..............................

बहाजिर :–

वादियागण :–विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

मिनजानित मुदई रूबरू ....**X**...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल कटावर तहसील अटरू की खाता संख्या 271 का ख0नं0 9 का रकबा 2.57 है0 में सहखातेदार मनभंवर पुत्र रमेशचन्द्र के स्थान पर प्रदीप कुमार नागर उर्फ मनभंवर पुत्र रमेशचन्द्र दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....**X**...................... मुबालिक ....**X**............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......**X**........................
.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....**X**.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 07/04/2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)